

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2 / ई.फा. 200-21035 / जोन-जयपुर / 2024 / 330

दिनांक-8/5/24

## आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कर्मचारियों को विदेश यात्रा (मलेशिया) जाने हेतु दिनांक 14.05.2024 से 17.05.2024 तक (04 दिवस) की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान कि जाती है -

क.स.	नाम कर्मचारी एवं पद नाम	पदस्थापन स्थान
1.	मुकेश कुमार पारीक, नर्सिंग ऑफीसर	कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं0 11 जयपुर
2.	नरेश पारीक, नर्सिंग ऑफीसर	राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

- कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत प्रस्थान करेगा तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
- विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 35(28)/चिस्वा /गुप-3/2017 दिनांक 16.11.17 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2 / 200-21035 / जोन-जयपुर / 2024 / 330

दिनांक-8/5/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- संबंधित समस्त प्रशासनिक / नियंत्रण अधिकारी।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश / रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
7014684

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation: Director  
Date: 2024.05.08 09:31:55 IST  
Reason: Approved